भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1465
09.02.2026 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष

1465. श्री सुनील बोस :
श्री अमरा राम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वन्यजीव और मानव संघर्ष के कारण मरने वाले, घायल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है और फसल के नुकसान की मात्रा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा वन्यजीवों के हमलों के कारण हुई मौतों के लिए भुगतान की गई मुआवजे की राशि कितनी है और क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकसमान कानून का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का इन संघर्षों के कारण होने वाली मौतों, फसलों के नुकसान और पालतू जानवरों के नुकसान के लिए मुआवजे को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिए समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देशभर में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए कोई पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वनों की तारबंदी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघ और हाथियों के हमले के कारण हुई मानव मौतों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) से (घ) मंत्रालय "वन्यजीव पर्यावास का विकास" जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को देश में वन्यजीव एवं उनके पर्यावास के प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें वन्यजीवों द्वारा किए गए नुकसान जैसे मवेशियों को उठाना, फसलों को क्षति, मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति भी शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिसंबर

2023 में इन योजनाओं के तहत वन्यजीव हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में दी जाने वाली अनुग्रह राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया है, जो धन उपलब्धता पर निर्भर है और इसका भुगतान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	**वन्यजीवों द्वारा किए गए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत राशि का मूल्य**
i.	मृत्यु या स्थायी अपंगता	10.00 लाख रुपए
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपए
iii.	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति उपचार की लागत अधिकतम ₹25,000/-तक
iv.	संपत्ति/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानकों का अनुपालन कर सकती हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण चोटों के मामलों सहित में पशुधन, फसलों और मानव जीवन की हानि निर्धारित मानकों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग होती है।

(ङ) मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है तथा संबंधित ग्राम-सभा से परामर्श को अनिवार्य किया गया है।

ii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल उन पशुओं के शिकार की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है, जो मानव जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11(1)(ख) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या किसी प्राधिकृत अधिकारी को अनुसूची-II में शामिल उन वन्य पशुओं के शिकार की अनुमति देने का अधिकार प्रदान करती है, जो मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो गए हैं।

iii. वन्यजीवों एवं उनके पर्यावास के संरक्षण हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों वाले राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

iv. मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के संबंध में 6 फरवरी, 2021 में एक परामर्शी जारी की गई है। मंत्रालय ने 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव-वन्यजीव संघर्ष, जिसमें फसलों की क्षति भी शामिल है, के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इस परामर्शी में विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई, संघर्ष के हॉटस्पॉट की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन, त्वरित कार्रवाई दलों की तैनाती तथा त्वरित भुगतान हेतु अनुग्रह राशि की समीक्षा के लिए राज्य एवं जिला स्तर की समितियों के गठन आदि की सिफारिश की गई है।

v. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्षों को निपटाने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का दृष्टिकोण अपनाते हुए दिनांक 21.03.2023 को हाथी, गौर, तेंदुआ, साँप, मगरमच्छ, रीसस मकैक, जंगली शूकर, भालू, नीलगाय और काले हिरण से जुड़े मानव वन्यजीव संघर्ष के उपशमन के लिए प्रजाति विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने मीडिया के साथ सहयोग,मानव वन्यजीव संघर्ष के उपशमन में व्यवसाय से संबंधित सामान्य देखरेख एवं सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपाप्त स्थितियों से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने वन्यजीवों पर रेखीय अवसंरचना के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल उपायों से संबंधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

vi. मंत्रालय "वन्यजीव पर्यावास का विकास" तथा "बाघ एवं हाथी परियोजना" जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को देश में वन्यजीव एवं उनके पर्यावास के प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समर्थित गतिविधियों में वन्य पशुओं को फसल क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, कंटीली तारों की बाड़,सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, जैव-बाड़, सीमा दीवार आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना, वन्यजीवों द्वारा किए गए नुकसान जैसे पशु हमला, फसलों को क्षति, मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति भी शामिल है। मानव वन्यजीव संघर्ष के निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई दल भी तैनात किए जाते हैं।

vii. मानव-वन्यजीव संघर्ष के निवारण हेतु रेडियो कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर दीवारें और ई-निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है।

viii. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 38O(1)(छ) के अनुसार, देश में 32 प्रमुख बाघ गलियारों की पहचान की है। बाघ एवं पर्यावास प्रबंधन के लिए एनटीसीए दिशा-निर्देश (2012) और मानक संचालन प्रक्रियाएँ मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसी प्रकार, मंत्रालय ने वर्ष 2023 में देश में 150 हाथी गलियारों की भी पहचान की है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ मिलकर निकटवर्ती परिदृश्यों में हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना की तैयारी शुरू की है।

ix. मंत्रालय राज्य सरकारों को मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता प्रदान करता है। राज्य वन विभाग समय-समय

पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करते हैं, ताकि आम जनता को मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में सुग्राहीकरण, मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सके जिसमें विभिन्न माध्यमों से सूचना का प्रसार शामिल है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग स्थानीय समुदायों को कुछ वन्यजीव प्रजातियों की आवाजाही की निगरानी में शामिल करते हैं, ताकि स्थानीय लोगों को सावधान किया जा सके और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से बचा जा सके तथा मानव जीवन, संपत्ति और वन्यजीवों की क्षति या हानि को रोका जा सके। मंत्रालय ने सलीम अली पक्षी-विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्लूआईआई) - दक्षिण भारत केंद्र, कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की पहल भी की है।

*****

अनुलग्नक-I

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1465 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघ के हमले के कारण हुई मानव मौतों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025** (दिनांक **30.06.2025** के अनुसार)
1.	असम	0	0	0	4	0
2.	बिहार	4	9	1	2	0
3.	छत्तीसगढ	0	0	3	0	0
4.	कर्नाटक	1	1	8	2	0
5.	केरल	1	1	1	1	0
6.	मध्य प्रदेश	2	3	10	6	9
7.	महाराष्ट्र	54	80	37	41	27
8.	राजस्थान	1	0	2	1	0
9.	तमिलनाडु	3	0	1	0	0
10.	तेलंगाना	0	0	0	1	0
11.	उत्तर प्रदेश	11	11	25	10	2
12.	उत्तराखंड	1	3	0	5	2
13.	पश्चिम बंगाल	5	1	0	1	0
कुल		**83**	**109**	**88**	**74**	**40**

अनुलग्नक-II

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1465 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमले के कारण हुई मानव मौतों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6	5	6	11
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	1
3	असम	91	80	74	119
4	छत्तीसगढ	42	69	51	53
5	झारखंड	74	96	87	81
6	कर्नाटक	26	29	48	36
7	केरल	20	22	23	19
8	महाराष्ट्र	0	2	5	4
9	मेघालय	6	3	7	12
10	नागालैंड	0	1	1	0
11	ओडिशा	93	148	154	143
12	तमिलनाडु	57	43	61	52
13	त्रिपुरा	1	2	1	1
14	उत्तर प्रदेश	1	4	4	3
15	उत्तराखंड	13	4	8	10
16	पश्चिम बंगाल	47	97	99	79
	कुल	**479**	**605**	**629**	**624**